

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक: प06(1) चिस्वा / 2/2018

जयपुर, दिनांक: - १७/११/१८

डॉ० देवी लाल धाकड़,  
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
बैगू (चित्तौड़गढ़)।

विषय:— स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 01.11.2018 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का

प्रार्थना पत्र जिसके द्वारा दिनांक 01.11.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है! अतः  
चिकित्सकों की कमी, लोकहित में आमजन को चिकित्सा सेवाए उपलब्ध कराये जाने  
एवं प्रशासनिक कारणों को मद्देनजर रखते हुये आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन  
अस्वीकृत किया जाता है।

अतः आपको दिनांक 01.11.2018 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिया

जाना संभव नहीं है।

भवदीय,

(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1— निदेशक(जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ० धाकड़ को आज ही पत्र डिलीवर कर इस विभाग को अवगत करावें।  
2— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर लेख है कि डॉ० धाकड़ को आज ही पत्र डिलीवर कर इस विभाग को अवगत करावें।  
3— रक्षित पत्रावली।

3  
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.आ./डी-461/2018/ ११५६

दिनांक : ३०/१०/१८

प्रतिलिपि निम्न को रूपांश्च एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. मुख्य विकिरा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वित्तौडगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि उक्ता पत्र डॉ. देवीलाल धाकड़, खण्ड मुख्य विकिरा अधिकारी, बैगू वित्तौडगढ़ को डिलीवर कराकर पाबन्द कर निदेशालय को अवगत करावें।
2. डॉ. देवीलाल धाकड़, खण्ड मुख्य विकिरा अधिकारी, बैगू वित्तौडगढ़ द्वारा मुख्य विकिरा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वित्तौडगढ़ को भेजकर लेख है कि आपका दिनांक 01.11.2018 से रवैष्टिक रोवानिवृत्ति प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने के कारण अपने पद पदस्थापित रहें।
3. प्रभारी रार्वर रुम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्ता पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त  (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।